

{ नियम-7(1) देखिए }

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राज0)

क्रमांक : 4323

दिनांक : 18/11/23

श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री जेठानन्द जाति सिन्धी निवासी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़-राजस्थान

.....आवेदक

विषय : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

-: आदेश :-

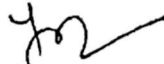
मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील व जिला का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	पथर नं. / किला नं.	क्षेत्रफल
तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़	घक नं. 49 एनजीसी	123/258 मु.नं. 10 किला नं. 13/0. 253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0. 228, 17/0.253, 18/0.253	कुल 1.468 हेक्टर यानि 14680 वर्गमीटर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ-पत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/ विकास योजना/ स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

लगातार पेज/2



अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि चक नं. 49 एनजीसी पत्थर नं. 123/258 मु.नं. 10 किला नं. 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.228, 17/0.253, 18/0.253 कुल 1.468 हेक्टर यानि 14680 वर्गमीटर भूमि तहसील व जिला हनुमानगढ़ में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को उक्त भूमि का आवेदक/ आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययधीन रखा गया समझा जायेगा।

4. आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समयक आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

5. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदकों द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी

नगरपरिषद हनुमानगढ़

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि - वास्ते सूचनार्थ :-

1. आयुक्त, नगरपरिषद हनुमानगढ़।

2. तहसीलदार, तहसील हनुमानगढ़ को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।

3. श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री जेठानन्द जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़-राजस्थान।

4. सुरक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी

नगरपरिषद हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद्, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2023 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश



नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के द्वारा चक नं. 49 एनजीसी पत्थर नं. 123/258 मु.नं. 10 किला नं 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.228, 17/0.253, 18/0.253 कुल 1.468 हैक्टर यानि 14680 वर्गमीटर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 4323-4325 दिनांक 08.07.2023 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् उप-नगर नियोजक, जयपुर द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं परिषद् एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रमांक 6069 दिनांक 08.09.2023 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत पत्रावली में अंकित श्रीमान् उप-नगर नियोजक, जयपुर की टिप्पणी को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 9, 11 कुल 05 भूखण्ड परिषद् के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लट परिषद् द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजरर्स / खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है :-

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर करवाये जावेंगे और इस संबंध में परिषद् किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
3. श्रीमान् उप-नगर नियोजक, जयपुर की टिप्पणी को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 9, 11 कुल 05 भूखण्ड परिषद् के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा ज्यो-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे, परिषद् द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद् द्वारा रहनशुदा प्लट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेगी।
4. संबंधित कोलोनाईजर/खातेदारों पर 100/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैचान आदि करने पर नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
5. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बैचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रु. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

Sd.
आयुक्त

नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

दिनांक : 8/9/2023

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2023 / 6072

प्रतिलिपि -

1. खातेदार/कॉलोनाईजर श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री जेठानन्द जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद् को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

21/9
आयुक्त

नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

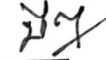
क्रमांक : नपह/भूमि (कृषि)/2023/ 6324

दिनांक: 15/9/23

श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री जेठानन्द
निवासी दुर्गा कॉलोनी
हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला
हनुमानगढ़-राजस्थान।

विषय : आन्तरिक विकास पेटे रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत।
प्रसंग : आप द्वारा आनन्द वाटिका-प्रथम के भूखण्ड रहन मुक्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्वामित्व की भूमि चक नं. 49 एनजीसी पत्थर नं. 123/258 मु.नं. 10 किला नं 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.228, 17/0.253, 18/0.253 कुल 1.468 हैक्टर यानि 14680 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत प्लान में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6072 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। उक्त आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 01, 02, 03, 09, व 11 कुल 05 भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्यो पेटे रहन किये गये थे। नगरपरिषद कनिष्ठ अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर रहन किये गये भूखण्ड संख्या 01, 02, 03, 09, व 11 कुल 05 भूखण्डों को रहन मुक्त किया जाता है।



आयुक्त

नगरपरिषद् हनुमानगढ़

